

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (83)आकाशि/नि.सं./1965/1011


दिनांक:- 20.05.19

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित एवं नवीन विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	विषय
श्री भगवानदास तोदी चेरिटेबल महाराष्ट्र, मुंबई।	श्री भगवानदास तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़, सीकर।	पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय- गणित(पूर्व संचालित)। वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र(नवीन)


1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मंय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
 2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 3. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
 6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
 8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
 9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।


आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. कुल सचिव, पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, संबन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली


SECRETARY
Shri Bhagwan Das Todi College
LACHHMANGARH (Sikar)


संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (589) आकाशि/नि.स./1965/ 462

दिनांक- 17/05/18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2017-18 से स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय / विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम व पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	नवीन विषय
भगवानदास तोदी चेरिटेबल ट्रस्ट, महाराष्ट्र, मुंबई।	श्री. भगवानदास तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ जिला-सीकर।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	स्नातक स्तर पर- कला संकाय-भूगोल, शारीरिक शिक्षा। स्नातकोत्तर स्तर पर- प्राणीशास्त्र, अंग्रेजी व भूगोल।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
 2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
 6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
 8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
 9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. कुल सचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, संबद्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

कूल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषय:- स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार लेख है कि निम्नलिखित महाविद्यालय 1989 अधिनियम के पूर्व स्थापित होने एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के कारण उनके नाम के सामने अंकित वर्ष से उनको स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	स्थायी एचओसी जारी करने का वर्ष
1.	सेठ जी.बी. पोद्दार कालेज, नवलगढ जिला झुंझुनू	1945	1948
2.	एस.एस.जी. पारीक महाविद्यालय, जयपुर	1955	1958
3.	अग्रवाल कालेज, जयपुर	1957	1960
4.	चिडावा कालेज, चिडावा जिला झुंझुनू	1958	1961
5.	सेठ मोतीलाल कालेज, झुंझुनू	1958	1961
6.	एस.एस. जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर	1959	1962
7.	शारदा सदन कालेज, मुकुन्दगढ जिला झुंझुनू	1959	1962
8.	सेठ जी.आर. चमडिया कालेज, फतेहपुर जिला सीकर	1960	1963
9.	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर	1963	1966
10.	कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर	1965	1968
11.	श्री बी.डी. तोदी कालेज, तक्ष्मणगढ जिला सीकर	1965	1968
12.	इंदिरागांधी बालिका निकेतन, अरडावता जिला झुंझुनू	1966	1968
13.	एम.के. साबू कालेज आफ कामर्स, पिलानी जिला झुंझुनू	1970	1973
14.	जी.डी. कालेज बडागाँव जिला झुंझुनू	1970	1973
15.	श्री संतसाई कालेज फार यूमेन, जयपुर	1974	1977
16.	श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर	1977	1980
17.	एस.एस. जैन सुबोध इवनिंग कालेज, जयपुर	1977	1980
18.	सेठ रामकिशन-धानुका गर्ल्स कालेज, फतेहपुर जिला सीकर	1978	1981
19.	श्रीमती इन्द्रमणि मंडेलिया गृहविज्ञान गर्ल्स कालेज, पिलानी जिला झुंझुनू	1980	1983
20.	आर्य गर्ल्स कालेज, अलवर	1980	1983
21.	जे.बी. शाह गर्ल्स कालेज, झुंझुनू	1982	1985
22.	संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	1983	1986
23.	एस.एस.जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	1986	1989
24.	विनोदनी कालेज, खेतडी जिला झुंझुनू	1986	1989

25.	श्री आदि नाथ इवनिंग कामर्स कालेज, अलवर	1986	1989
26.	श्री खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय, जयपुर	1986	1989
27.	स्वामी माधवानन्द गर्ल्स कालेज, जयपुर	1986	1989
28.	श्री बांकेबिहारी कन्हैयालाल महिला महाविद्यालय, डीग जिला भरतपुर	1987	1990
29.	श्रीमती गिन्नीदेवी सत्यनारायण सेक्सरिया गर्ल्स कालेज, चिडावा जिला झुंझनू	1987	1990
30.	आर्य विद्यापीठ गर्ल्स कालेज, भूसावर जिला भरतपुर	1980	1983

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करेगी ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्त करना होगा ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर जारी राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करेगी ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।
8. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को आहरित (withdraw) भी किया जा सकता है ।

भवदीय,

10/1/05

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, जयपुर/झुंझनू/अलवर/भरतपुर/सीकर ।
8. सचिव, संबंधित महाविद्यालय ।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली ।

10-1-05

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।